



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175442

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3141/2026

सलमान

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

पंकज कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन विशेष मुकदमा संख्या में अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है। मामला संख्या 604/2024, जो धारा 392, 411, 413 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला संख्या 08/2024 से संबंधित है, पुलिस थाना जीआरपी, जिला इटावा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान दर्ज किया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी को संबंधित न्यायालय द्वारा इस मामले में पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। यह भी बताया गया कि तीसरे गवाह की गवाही पहले ही पूरी हो चुकी है। अपीलार्थी 07.02.2025 से एक अन्य आपराधिक मामले में संलिप्त होने और हिरासत में होने के कारण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। इसके बाद, अपीलार्थी के खिलाफ दो और आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें उसे संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि 12.09.2025 को न्यायालय मोहर्रिर ने विचारण न्यायालय को सूचित किया कि अपीलार्थी जेल में नहीं है और स्थानीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया और मामले की सुनवाई 04.10.2025 को तय की गई। यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर पहले ही हो चुका है, हालांकि, अपीलार्थी के एक अन्य आपराधिक मामले में संलिप्त होने के कारण, वह निचली अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। अपीलार्थी उक्त कार्यवाही के बाद से हिरासत में है और 18.10.2025 से जेल में है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी का आपराधिक इतिहास है; हालांकि, इसे वर्तमान जमानत याचिका के अनुच्छेद 19 में विधिवत स्पष्ट किया गया है। यह भी निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर या स्वेच्छा से जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, और उसकी अनुपस्थिति केवल एक अन्य मामले में उसकी कैद के कारण हुई है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अंत में निवेदन करते हैं कि यदि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया और कहा कि जमानत खारिज करने के आदेश में कोई गैरकानूनी बात नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पहले इस मामले में जमानत पर रिहा किया गया था और गवाह-3 की परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है। अपीलार्थी एक अन्य आपराधिक मामले में कारावास के कारण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। अपीलार्थी 18.10.2025 से हिरासत में है। उसके आपराधिक इतिहास का विवरण जमानत आवेदन के परिच्छेद 19 में भी दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी को पहले इस मामले में जमानत पर रिहा किया गया था और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर या कार्यवाही में बाधा डालने के इरादे से थी, इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी ने जमानत पर रिहा होने का मामला सिद्ध कर दिया है।

तदनुसार, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त मामले में **अपीलार्थी- सलमान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह:

- (i) निचली अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित हो;
- (ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे;
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव न डाले।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

बृजेश